न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 74/2020 दायर दिनांक : 09.07.2020

1. नवतेज सिंह } पि0 बलवंत सिंह अकवाम (खत्री) बेदी निवासीयान
2. परमजीत सिंह } सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. आकाश बेदी पुत्र नवतेज सिंह बेदी जाति खत्री (बेदी) निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. पारस बेदी पुत्र पमरजीत सिंह बेदी जाति खत्री (बेदी) निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित :
1. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अभिभाषक, वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 23.07.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान व पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए सपठित धारा 136 एलआरएक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रमोद कुमार, सुशील कुमार पि0 इन्द्रजीत सिंह अकवाम बेदी (खत्री) ने सूरतगढ़ में सामूहिक रूप से रोही मानकसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा संख्या 253 में 13.14 बीघा भूमि क्रय की थी। जिसमें वादी नवतेज सिंह द्वारा 1/3 हि0, परमजीत सिंह द्वारा 1/6 हि0, सुशील कुमार द्वारा 1/3 हिस्सा, प्रमोद कुमार द्वारा 1/6 हि0 क्रय किया गया था। उपर्युक्त 13.14 बीघा में से वादीगण सहित क्रेतागण द्वरा 9.00 बीघा भूमि पर ईंट—भट्ठा स्वीकृत कराया गया, जिस कारण जमाबंदी से इस 9.00 बीघा का अलग खाता गै0मु0 भट्ठा के रूप में कायम किया गया एवं शेष 4.14 बीघा भूमि जो वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रमोदकुमार, सुशील कुमार के नाम रही। वादीगण की खरीद का इंतकाल दर्ज करते समय 1/3+1/3+1/6+1/6=1 हिस्सा दर्ज करने की बजाय हिस्सा बिस्वा में प्रकट करते हुए 91 हि0+46हि0+91हि0+46हि0= 274 हि0 के हिसाब से किया गया एवं प्राप्त वास्तविक हिस्से जो कि पूर्णांक में नही थे को निकटतम पुर्णांक के हिसाब से दर्ज किया गया था। गै0मु0 भट्ठा का अलग खाता कायम करते समय वादीगण के खाता में कुल भूमि 9.00 बीघा भूमि निकालते हुए शेष 4.14 बीघा जो खाता कायम करवाया गया इसमें कुल भूमि तो कम कर दी गई लेकिन उसी अनुसार हिस्सा—कस्सी संशोधित नही की गई। जिससे दर्ज खाता में कुल भूमि एवं कुल हिस्सा का मिलान गलत हो गया। पूर्व क्रेता सुशील कुमार ने अपना समस्त हिस्सा वादी संख्या 4 को व प्रमोद कुमार ने अपना समस्त हिस्सा वादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया। नामान्तरकरण के पश्चात् सुशील कुमार व प्रमोद कुमार के स्थान पर वादीगण संख्या 3 व 4 खातेदार हो गये। प्रश्नगत भूमि रोही मानकसर के खाता संख्या 13 में वादी संख्या 1= 1/3 हि0, वादी संख्या 2= 1/6 हि0, वादी संख्या 3 = 1/6 हि0 व वादी संख्या 4 = 1/3 हि0 के खातेदार होते है, इसी अनुसार घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 3 पर

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार सूरतगढ़ ने बताया कि ग्राम मानकसर के वर्तमान जमाबंदी में खसरा संख्या 253 में 1.189 है0 व खसरा संख्या 287/253 में 2.277 है0 रकबा है परन्तु इससे पूर्व उक्त दोनों खसरें एक ही खसरे थे। जिससे की कुल रकबा 3.466 है0 अर्थात (274 हिस्सा) बनते थे परन्तु जब कुल रकबा गै0मु0 भट्ठा में संपरिवर्तन हो गया तो उक्त रकबे से एक खसरा अलग होकर व रकबा कम होकर रकबा तो कम हो गया परन्तु खातेदारी में हिस्सा कम नही किया गया जिससे यह खाता अपवादित हो गया। उपरान्त बाद ना0सं0 144 से बैयनामा का नामान्तरकरण दर्ज हो गया। नामान्तरकरण में हिस्सों से नामान्तकरण दर्ज किया गया जबकि इतना रकबा ही खाते में नही था। यदि इन दोनों खातों को मिला दिया जावे तो रकबा हिस्सो के बराबर आ जाता है। उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा वाद पत्र की समर्थन में बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, ग्राम मानकसर के खाता संख्या 13 में वादी संख्या 1= 1/3 हि0, वादी संख्या 2= 1/6 हि0, वादी संख्या 3 = 1/6 हि0 व वादी संख्या 4 = 1/3 हि0 के खातेदार होते है, इसी अनुसार घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पैरोकारराज ने भी अपवादित खाता दुरस्त करने का निवेदन किया।

बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रमोद कुमार, सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से रोही मानकसर के खसरा संख्या 253 में 13.14 बीघा भूमि क्रय की थी। इसमें वादी संख्या 1 द्वारा 1/3 हि0, वादी संख्या 2 द्वारा 1/6 हि0, सुशील कुमार द्वारा 1/3 हिस्सा तथा प्रमोद कुमार द्वारा 1/6 हि0 क्रय किया गया था। इस 13.14 बीघा भूमि में से वादीगण एवं क्रेतागण द्वारा 9.00 बीघा भूमि पर ईंट–भट्ठा स्वीकृत कराया गया एवं गै0मु0 भठ्ठा का अलग खाता कायम हुआ। शेष 4.14 भूमि वादी संख्या 1 व 2 एवं सुशीलकुमार, प्रमोदकुमार के नाम दर्ज रही। किन्तु वादीगण की खाता में कुल 9.00 बीघा भूमि निकालते हुए शेष 4.14 बीघा भूमि को जो खाता कायम हुआ इसमें कुल भूमि तो कम कर दी गई किन्तु खातेदारों की हिस्सा–कस्सी संशोधित नही की गई। जिससे दर्ज खाता में कुल भूमि व कुल हिस्सा का मिलान गलत हो गया। तत्पश्चात् सुशील कुमार व प्रमोदकुमार द्वारा अपना हिस्सा वादी संख्या 3 व 4 को बेचना कर दिया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा भी इसे अपवादित खाता माना गया है। वाद वादी स्वीकार किये जाने से राज्य के हित प्रभावित नहीं होते, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर रोही मानकसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 2067 की खाता संख्या 13 खसरा संख्या 253 की 1.189 है0 भूमि में वादी संख्या 1 नवतेजसिंह को 1/3 हि0, वादी संख्या 2 परमजीतसिंह को 1/6 हि0, वादी संख्या 3 आकाश बेदी को 1/6 हि0 तथा वादी संख्या 4 पारस बेदी को 1/3 हि0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त संशोधन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी:– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस)

1. नवतेज सिंह पि0 बलवंत सिंह अकवाम (खत्री) बेदी निवासीयान
2. परमजीत सिंह सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. आकाश बेदी पुत्र नवतेज सिंह बेदी जाति खत्री (बेदी) निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. पारस बेदी पुत्र पमरजीत सिंह बेदी जाति खत्री (बेदी) निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 74 वर्ष 2020 में प्रस्तुत यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री अजय कुमार अरोड़ा एवं पैरोकार राज के हाजिर हाने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर रोही मानकसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 2067 की खाता संख्या 13 खसरा संख्या 253 की 1.189 है0 भूमि में वादी संख्या 1 नवतेजसिंह को 1/3 हि0, वादी संख्या 2 परमजीतसिंह को 1/6 हि0, वादी संख्या 3 आकाश बेदी को 1/6 हि0 तथा वादी संख्या 4 पारस बेदी को 1/3 हि0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त संशोधन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेंगे।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x .....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... x.... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.07.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 16:53:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: